भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2580

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

खरीफ के मौसम के दौरान कर्नाटक में उर्वरकों की कमी

2580. श्री पवन खेड़ा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू खरीफ मौसम के दौरान कर्नाटक में डीएपी, यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की रिपोर्ट की गई कमी का संज्ञान लिया है;
(ख) क्या सरकार को केंद्र द्वारा दावा की गई उर्वरक उपलब्धता तथा कर्नाटक सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई कमी के मध्य विसंगति की जानकारी है;
(ग) क्या सरकार ने उर्वरक उपलब्धता पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों तथा पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव का आकलन किया है तथा खरीफ मौसम से पहले कौन-से आकस्मिक उपाय किए गए हैं; और
(घ) आपूर्ति बढ़ाने, जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोकने तथा कर्नाटक के किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): कर्नाटक राज्य सहित देश भर में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रत्येक फसल मौसम के दौरान किसी भी कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

ii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iii. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को काफी पहले अंतिम रूप दे दिया जाता है ताकि देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे मांगपत्रों को समय पर भेजकर आपूर्तियों को सुचारू बनाने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

v. राज्यों के लिए रेलगाड़ियों के पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

vi. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

कर्नाटक राज्य में चल रहे खरीफ 2026 के मौसम के दौरान उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त मौसम (05.08.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान कर्नाटक में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

कर्नाटक

चल रहे खरीफ 2026 (01.04.2026 से 05.08.2026 तक) के दौरान उर्वरक उपलब्धता की स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्रम.सं.	उत्पाद	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	05.08.26 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	यूरिया	7.30	9.67	5.45	4.23
2	डीएपी	2.94	3.52	2.59	0.93
3	एमओपी	1.44	1.65	0.88	0.78
4	एनपीकेएस	8.27	12.98	7.75	5.23

इसके अलावा, हाल के भू-राजनीतिक तनावों ने उर्वरकों और कच्चे माल के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च माल भाड़ा और बीमा लागत, शिपमेंट में देरी और मूल्य अस्थिरता उत्पन्न हुई। तथापि, देश में उर्वरक उपलब्धता स्रोतों के विविधीकरण और सरकारी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप पर्याप्त बनी रही। सरकार ने विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की खोज करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के उपाय किए हैं।

इसके अनुरूप, भारतीय कंपनियों ने इस वर्ष भारत को डीएपी/एनपीके की लगभग 31 एलएमटी और 26.50 एलएमटी की वार्षिक आपूर्ति के लिए क्रमश: सऊदी अरब और रूसी कंपनियों के साथ करारों को अंतिम रूप दिया है।

कच्चे माल के लिए, भारतीय कंपनियों द्वारा जॉर्डन, मोरक्को और टोगो में आपूर्तिकर्ताओं के साथ वर्तमान वर्ष के दौरान 31.40 एलएमटी रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए करार किए गए हैं। इसके अलावा, ट्यूनीशिया और सेनेगल से 9.10 एलएमटी फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति के लिए कंपनियों द्वारा करार किए गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल, अमोनिया के संबंध में, भारतीय कंपनियों ने वर्तमान वर्ष के दौरान सऊदी अरब और ओमान में आपूर्तिकर्ताओं के साथ 8.50 एलएमटी की आपूर्ति के लिए करार किए हैं।

इसके अलावा, उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अन्य कदाचारों के मुद्दों का साधान करने के लिए, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, इस तरह के कदाचारों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक स्तर पर प्राप्त कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

इसके अलावा, डीएएंडएफडब्ल्यू, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, साप्ताहिक आधार पर कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया मानक और विपथन के मामलों के खिलाफ राज्यों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की नियमित निगरानी कर रहा है। डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल, 2026 से जुलाई, 2026 (31.07.2026 तक) की अवधि के दौरान कर्नाटक में उक्त कदाचारों में शामिल चूककर्ताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की संख्या, लाइसेंस रद्द करने/निरस्त करने और एफआईआर दर्ज करने की संख्या क्रमशः 2215, 2 और 7 है।
